

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 182]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 25, 2015/ज्येष्ठ 4, 1937

No. 182]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 25, 2015/JYAISTHA 4, 1937

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

शुद्धि-पत्र अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2015

फा. सं. पीएनजीआरबी/रेग्युलेशंस/अमेंड-2015.—भारत का राजपत्र असाधारण भाग III-खण्ड-4 में प्रकाशित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के अधिनियम की फा. सं.एल-विविध/VII/2007 दिनांक 1 जनवरी 2015 में,-

- (i) पैरा 1, की धारा (1) में “पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनी को प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों बिछाने, निर्मित करने, प्रचालित करने और उसका विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) द्वितीय संशोधन विनियम, 2014”, को “पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनी को प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों बिछाने, निर्मित करने, प्रचालित करने और उसका विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) विनियम, 2015”, पढ़ा जाए।
- (ii) पैरा 2 में, दोनों स्थान पर “विनियम 21” को “विनियम 22” पढ़ा जाए।

उपमन्यु चटर्जी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./188/15(69)]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सा.का.नि.340(अ) दिनांक 06/05/2008 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे और सा.का.नि. 802(अ) दिनांक 19/11/2008, सा.का.नि. 769(अ) दिनांक 20/10/2009, सा.का.नि. 38(अ) दिनांक 18/01/2010, सा.का.नि. 480(अ) दिनांक 7/06/2010, सा.का.नि. 594(अ) दिनांक 09/07/2010, फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/48 दिनांक 17/02/2014, फा.सं. पीएनजीआरबी/रेग्युलेशंस/अमेंड-2014 दिनांक 08/08/2014 तथा फा.सं एल-विविध/VI/I/ 2007- दिनांक 1 जनवरी 2015 के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

THE PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

CORRIGENDUM NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2015

F. No. PNGRB/NGPL/REGULATIONS/AMEND-2015.— In the notification of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, F. No. L-MISC/VI/I/2007 dated 1st January 2015 published in the Gazette of India, Part III, Section 4, Extraordinary,—

- (i) In clause (1) of para 1, “*the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Second Amendment Regulations, 2014*” may be read as the “*the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Amendment Regulations, 2015*”.
- (ii) In para 2, “*Regulation 21*” may be read as “*Regulation 22*” in both places.

UPAMANYU CHATTERJEE, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./188/15(69)]

Foot Note: Principal regulations were notified vide No. G.S.R. 340 (E) dated 6th May 2008 and subsequently amended vide G.S.R. 802(E) dated 19th November 2008, G.S.R. 769(E) dated 20th October 2009, G.S.R. 38 (E) dated 18th January 2010, G.S.R. 480(E) dated 7th June 2010, G.S.R. 594(E) dated 9th July 2010, F. No. PNGRB/M(C)/48 dated 17th February 2014, F. No. PNGRB/NGPL/REGULATIONS/AMEND-2014 dated 8th August 2014 and F. No. L-MISC/VI/I/2007 dated 1st January 2015.